तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-8-19	साक्ष्य पेश होने पर वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया वाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 407/2019 अनवान सतवीरसिंह बनाम जीतसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 407/2019

1. सतवीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. नायब सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. जीत सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरविन्द्र कौर पत्नि गुरजन्ट सिंह पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी नन्दगढ तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
3. वीरपालकौर पत्नि दिलबाग सिंह पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री गुरमोहन सिंह अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुलाबसिंह बराड़ अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.08.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ के चक नंम्बर 25 के.एस.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2036–39 खाता संख्या 3 खाता चन्द सिंह आदि में वादीगण के दादा श्री केहर सिंह वल्द फता सिंह के नाम मुश्तरका खाता में 57–16/20 हिस्सा अर्थात 45 बीघा 6 विस्वा भूमि अर्थात 11.457 हैक्टर भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत् 2036–39 सलंग्न वाद–पत्र है।

वादी के दादा श्री केहर सिंह के हक हिस्सा की 11.457 हैक्टर कृषि भूमि उनकी मृत्यु के बाद विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 जीत सिंह व उसके अन्य 4 पुत्र कुल 5 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 जीत सिंह बंटवारा में तहसील हनुमानगढ़ के चक 25 के.एस.पी. खाता संख्या 42/38 के पत्थर नम्बर 112/331 (11) किला नम्बर 11–12, पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 18–23, पत्थर नम्बर 111/332 (19) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 22, 23 कुल 2.277 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त उक्त बंटवारा में प्राप्त विरासतन सम्पति में से पत्थर नम्बर 112/331 (11) किला नम्बर 11 विनियम में अमरकौर पत्नि केहर सिह को दे दिया व इसी विनियम में अमर कौर पत्नि केहर सिंह से चक 25 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 17/.253 हैक्टर प्राप्त किया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी चक 25 के.एस.पी. खाता संख्या 42/38 व खाता संख्या 7/6 सम्वत् 2071–74 सलंग्न वाद–पत्र है।

वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त सम्पति तहसील हनुमानगढ के चक 25 के.एस.पी खाता संख्या 42/38 के पत्थर नम्बर 112/331 (11) किला नम्बर 12, पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 17–18–23, पत्थर नम्बर 111/332 (19) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 22, 23 कुल 2.277 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.277 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं अर्जीत सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Copy Not Official

Scanned by CamScanner

RCMS 2019/00404

4

वाद–पत्र की चरण सख्या 5 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज 2.277 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पति है व पैतृक सम्पति होने के कारण उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा बनता था लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उक्त कृषि भूमि में अपना मिलने वाला हक विरासतन अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित कुल 2.277 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के हकदार खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा का हक व अधिकार होना स्वीकार कर लेवे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम अराईयावाली में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

वाद–पत्र वादी बाबत इस्तकरार हक का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/– रुपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वाद–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक 25 के.एस.पी. खाता संख्या 42/38 के पत्थर नम्बर 112/331 (11) किला नम्बर 12, पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 18–23, पत्थर नम्बर 111/332 (19) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 22, 23 व इसी चक के खाता संख्या 7/6 के पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 17 कुल 2.277 हैक्टर कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.06.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका प्रश्नगत भूमि के संबंध में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। तहसील हनुमानगढ के चक 25 के.एस. पी. खाता संख्या 42/38 के पत्थर नम्बर 112/331 (11) किला नम्बर 12, पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 18 व 23 पत्थर नम्बर 111/332 (19) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 22, 23 व इसी चक के खाता संख्या 7/6 के पत्थर नम्बर 111/331 (12) किला नम्बर 17 कुल दोनो खातों की 2.277 हैक्टर कृषि भूमि द्वितीय पक्ष जीतसिंह जद्दी होना स्वीकार करते है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना बहिस्सा बराबर हक त्याग करना स्वीकार करती है। वादीगण एवं प्रतिवादी

लगातार 3

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रकार कुल 2.277 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 जीतसिंह के नाम दर्ज चक 25 के.एस.पी. के खाता संख्या 42 / 38 की 2. 024 हैक्टर व खाता सख्या 7 / 6 की .253 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.277 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 407/2019

1 सतवीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

2 नायब सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) — — वादीगण

—:: बनाम ::—

1 जीत सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2 गुरविन्द्र कौर पत्नि गुरजन्ट सिंह पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी नन्दगढ तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

3 वीरपालकौर पत्नि दिलबाग सिंह पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 28.08.2019

वादीगण की और से श्री गुरमोहनसिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री गुलाबसिंह बराड़ अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 28.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 जीतसिंह के नाम दर्ज चक 25 के.एस.पी. के खाता संख्या 42/38 की 2.024 हैक्टर व खाता सख्या 7/6 की .253 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.277 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:19:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: